राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1 (1) वित्त/सावलेनि/2007 जयपुर, दिनांक : 17-5-2012
आदेश संख्या : 15/2012

आदेश

विषय : **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II में संशोधन बाबत ।**

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते हैं :–

1. The existing sub-rule (1) of Rule 30 of GF&AR Part-II shall be substituted as under :-

"(1) **Purchases without tender**: Ordinarily all the purchases, shall be made through tender, except in the cases mentioned in Annexure "A" to this Chapter in the manner specified therein. Department shall have the choice to purchase without tender or procurement through a competative tender process. Procurement above Rs. 50,000/- shall be made after approval of Purchase Committee and entering into contracts of agreement."

2. The item (iii) of Annexure "A" to Rule 30 of GF&AR Part-II shall be added as under:-
"(iii) Goods and Services related to IT and e-Governance as per rule 32(A)."

3. The existing Rule 32 of GF&AR Part-II shall be substituted as under:-

"Rule 32: **IT and e-governance:** Departments will require approval of DoIT&C for IT/e-governance related projects above Rs. 25.00 lacs. "

4. The existing Rule 32 (A) of GF&AR Part-II shall be substituted as under:-

"Rule 32 (A) : Normally the procurement of goods and services relating to IT and e-governance of Government departments shall be carried out after inviting open tenders. However, departments may get the work done without calling tender through DoIT&C/RISL/NIC/ NICSI on single source citing the reasons for the same."

....2

5. The existing sub-clause (i) of sub-rule (2) Rule 67 of GF&AR Part-II shall be substituted as under:-

"(2) (i) Advances to the extent of 100% may be permitted by the Head of the Department to all State Governments/Central Government Corporation/ Undertakings. Any interest earned on the advance amount shall constitute part of the Project. Unutilised amount will have to be deposited back in the consolidated fund."

6. The existing sub-clause (iii) of sub-rule (2) Rule 67 of GF&AR Part-II shall be deleted.

आज्ञा से,

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
17. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

संयुक्त सचिव